न्यायालय श्रीमान [redacted] महोदय [redacted]

R 4325-II-16

1. लक्ष्मी नारायण आयु करीब 38 वर्ष पुत्र टीकाराम
2. श्रवण पुत्र आयु करीब 42 वर्ष टीकाराम
   दोनों निवासी—ग्वाल मोहल्ला बुदनी घाट
   बुदनी तहसील बुदनी जिला सीहोर————————————————याचिकाकर्तागण

बनाम

1. जयराज जुगानी पुत्र मनसाराम जुगानी
   निवासी--वार्ड नं. 29 सिंधी कालोनी
   होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

2. राजस्व निरीक्षण किशोरीलाल सेलू
   कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल बुदनी
   तहसील बुदनी जिला सीहोर————————————————————उत्तरवादीगण

स्वमेव पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता :—

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षणयाचिका श्रीमान राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षण मंडल बुदनी द्वारा राजस्व सीमांकन प्रकरण क्र.10/अ—12/2015—16 ग्राम बुदनी प.ह.नं. 06 के सीमांकन आदेश व प्रतिवेदन दिनांक 13.04.2016 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :—

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

याचिकाकर्तागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि योग्य भूमि खसरा नं. 137/1 रकबा 5.544 हेक्टे. स्थित ग्राम बुदनी तहसील बुदनी जिला सीहोर जिसके राजस्व अभिलेखों में याचिकाकर्तागण का नाम मालिक स्वामी व आधिपत्यधारी की हैसियत से दर्ज चला आ रहा है उक्त सम्पत्ति के भौतिक एवं वास्तविक आधिपत्य याचिकाकर्तागण हैं तथा उत्तरवादीगण तथा सर्वसाधारण की जानकारी में याचिकाकर्तागण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, उक्त सम्पत्ति के संबंध में सम्पूर्ण स्वत्व हित एवं अधिकार याचिकाकर्तागण को प्राप्त है, उक्त सम्पत्ति के संबंध में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4325–दो/2017 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल बुदनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 10/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। सीमांकन पंचनामें से आवेदक का सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	